उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1914/VII-1/2018/25 सोपस्टोन/16
देहरादून, दिनांकः 26 दिसम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा के ग्राम जगथली व बजीना में कुल 4.923 है० भूमि में सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु श्री हरीश चन्द्र काण्डपाल पुत्र श्री त्रिलोचन काण्डपाल, ग्राम बजीना, पो० काण्डा, जिला बागेश्वर व श्री कैलाश चन्द्र भट्ट पुत्र श्री ईश्वरी दत्त भट्ट, ग्राम पत्थरखानी, पो० धौलछीना, तहसील व जिला अल्मोड़ा के आवेदन पत्र दिनांक 7.10.2015 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1392/VII-1/25 सोपस्टोन/2016, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्री हरीश चन्द्र काण्डपाल पुत्र श्री त्रिलोचन काण्डपाल, ग्राम बजीना, पो० काण्डा, जिला बागेश्वर व श्री कैलाश चन्द्र भट्ट पुत्र श्री ईश्वरी दत्त भट्ट, ग्राम पत्थरखानी, पो० धौलछीना, तहसील व जिला अल्मोड़ा के पक्ष में जनपद बागेश्वर की तहसील काण्डा के ग्राम जगथली व बजीना में कुल 4.748 है० भूमि में 25 वर्ष की अवधि हेतु सोपस्टोन का खनन पट्टा हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया गया तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1761/VII-1/2017/25 सोपस्टोन/16, दिनांक 31 जनवरी, 2018 द्वारा उक्त स्वीकृत आशय पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 में उल्लिखित शर्तों की अनुपालना हेतु 06 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–978/मु०ख०/भू०खनि०ई०/06/बागेश्वर/2015–16, दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में श्री हरीश चन्द्र काण्डपाल पुत्र श्री त्रिलोचन काण्डपाल, ग्राम बजीना, पो० काण्डा, जिला बागेश्वर व श्री कैलाश चन्द्र भट्ट पुत्र श्री ईश्वरी दत्त भट्ट, ग्राम पत्थरखानी, पो० धौलछीना, तहसील व जिला अल्मोड़ा के पक्ष में जनपद बागेश्वर की तहसील काण्डा के ग्राम जगथली व बजीना में 4.748 है० भूमि में सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 5.12.2016 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र में उल्लिखित पर्यावरणीय अनुमति को छोड़कर शेष शर्तों की अनुपालना किये जाने तथा आशय पत्र की अनुपालना में हुए लगभग 07 माह के विलम्ब का मर्षण करते हुए शासनादेश संख्या–121/VII-1-17/68–ख/2015, दिनांक 27 फरवरी, 2017 एवं उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित, 2017 के प्रावधानानुसार जनपद बागेश्वर की तहसील काण्डा के ग्राम जगथली व बजीना में आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र 4.748 है० के सापेक्ष सीमांकित कुल 3.687 है० भूमि में सोपस्टोन का 25 (पच्चीस) वर्ष की अवधि का खनन पट्टा निम्नवत् स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :–

1	उपखनिज का नाम	सोपस्टोन
2	क्षेत्रफल	जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा के ग्राम जगथली में 3.160 भूमि तथा ग्राम बजीना में 0.527 है० भूमि **कुल भूमि 3.687 है०** एक संहत खण्ड में खसरा विवरण पत्र एवं मानचित्र के अनुसार उपलब्ध क्षेत्र का भूमि पर वास्तविक सीमाबन्धन खेतवार एवं खसरावार क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।
3	अवधि	खनन पट्टा के पंजीयन की तिथि से 25 वर्ष
4	अपरिहार्य भाटक	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के द्वितीय अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
5	स्वामित्व (रायल्टी)	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रथम अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
6	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार

अतिरिक्त शर्तेः

7.1. शासनादेश के दिनांक से छः माह के भीतर समुचित पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो शासनादेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही आवेदन शुल्क जब्त करते हुये प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

7.2 वन विषयक यदि स्वीकृत क्षेत्र का कोई भाग वन भूमि में पाया जाता हो या घोषित होता है, पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

7.3. पट्टाधारक को खनन के दौरान विलेख की शर्तों/खनन नियमों/शासनादेशों/स्थानीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

7.4. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सार्वजनिक उपयोग की भूमि ग्राम जगथली में 0.100 है० एवं ग्राम बजीना में 0.001 है० कुल 0.101 है० में खनन कार्य निषिद्ध रहेगा।

7.5. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा एवं खनन कार्य से वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

7.6 पट्टाधारक को जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति (DEIAA) से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति (DEIAA) से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आवेदक को प्रस्तावित क्षेत्र में खनन करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

7.7. पट्टाधारक द्वारा जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति (DEIAA) द्वारा प्रस्तुत पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तो की अनुपालना किया जाना अनिवार्य होगा।

7.8. पट्टाधारक द्वारा जी०एस०टी० नं० जय मां काली मिनरल्स के नाम से प्रस्तुत किया गया है जबकि आशय पत्र श्री हरीश चन्द्र काण्डपाल एवं श्री कैलाश चन्द्र भट्ट के नाम से निर्गत किया गया है। अतः पट्टाधारक को जी०एस०टी० नं० श्री हरीश चन्द्र काण्डपाल एवं श्री कैलाश चन्द्र भट्ट के नाम से प्राप्त कर आवश्यक होगा।

7.9. पट्टाधारक द्वारा अपरिहार्य भाटक की देयता पट्टा विलेख के दिनांक से देय होगी।

7.10. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ संबंधित भू–स्वामियों की सहमति/अनापत्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।

7.11. स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

बृजेश कुमार सन्त
अपर सचिव

संख्याः 1914 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. श्री हरीश चन्द्र काण्डपाल पुत्र श्री त्रिलोचन काण्डपाल, ग्राम बजीना, पो० काण्डा, जिला बागेश्वर व श्री कैलाश चन्द्र भट्ट पुत्र श्री ईश्वरी दत्त भट्ट, ग्राम पत्थरखानी, पो० धौलछीना, तहसील व जिला अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार खनन पट्टा विलेख निष्पादन हेतु नियमानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के माध्यम से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार सन्त)
अपर सचिव